

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़
रेशमी बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : 136 LRA

प्रकरण संख्या 206/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
09.06.2026	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा चक 2 केएम तहसील नोहर के खाता स0 52/34 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 केएम के खाता स0 50/23 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रेशमा देवी पत्नी बलवीर व रोही मौजा 3 केएम के खाता स0 54/27 की कुल 1.4430 हैक्ट भूमि में से से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रेशमा पत्नी बलवीर दर्ज है। जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम रेशमी पत्नी बलवीर है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रेशमा देवी पत्नी बलवीर व रेशमा पत्नी बलवीर के स्थान पर रेशमी दर्ज करने के आदेश फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम रेशमा देवी पत्नी बलवीर व रेशमा पत्नी बलवीर के स्थान पर रेशमी किया जाना उचित है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 2 केएम तहसील नोहर के खाता स0 52/34 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 केएम के खाता स0 50/23 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रेशमा देवी पत्नी बलवीर व रोही मौजा 3 केएम के खाता स0 54/27 की कुल 1.4430 हैक्ट भूमि में से से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रेशमा पत्नी बलवीर दर्ज है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रेशमा देवी पत्नी बलवीर व रेशमा पत्नी बलवीर के स्थान पर रेशमी दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी का नाम सही किया जाना उचित है। अत प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 केएम तहसील नोहर के खाता स0 52/34 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 केएम के खाता स0 50/23 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रेशमा देवी पत्नी बलवीर व रोही मौजा 3 केएम के खाता स0 54/27 की कुल 1.4430 हैक्ट भूमि में से से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम रेशमा पत्नी बलवीर दर्ज है उक्त समस्त खातों में प्रार्थीया का नाम रेशमी पत्नी बलवीर का संशोधन किया जाता है। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हों।</p>	

Sahul
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)